क्रमांक-3

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

### बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 27, 1931)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 79 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. अध्यक्षीय व्यवस्था

शून्यकाल में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, श्री रामनिवास रावत आदि कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में डेंगू, मलेरिया आदि बुखार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी गई स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर चर्चा की मांग पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि शासन से जानकारी प्राप्त की जा रही है, उसका परीक्षण कर, आवश्यक होने पर सदन में चर्चा कराई जाएगी।

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि सदन में किसी विषय पर जारी चर्चा, यदि अपने स्तर या विषय से भटक गई हो, उसे सही राह पर लाने हेतु माननीय सदस्यगण व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते है किन्तु व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद, पुनः व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे औचित्यहीन मानकर अग्राह्य किया गया।

**सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए.**

### 3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम तथा जावरा में बंगलादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के कई क्षेत्रों में विद्युत वितरण कार्य अधूरे होने,
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने प्रदेश में सहकारी बैंक द्वारा ब्याज की अधिक राशि बसूलने,
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद एवं इटारसी में केसीनो, सट्टा आदि चलाये जाने,
(5) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य ने सिंचाई यंत्रों की सामग्री खुले बाजार से क्रय करने,
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ के मोहनगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण कराये जाने,
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने भोपाल के गांधी मेडीकल कालेज में डेंटल परीक्षा से इंकार करने,
(8) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने दतिया में विधायक स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राहियों को न मिलने,
(9) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने चित्रकूट के बिरसिंहपुर में आई.टी.आई. न खोले जाने तथा
(10) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी की ग्रामीण शालाओं में मध्यान्ह भोजन न दिये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

## 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (27), दिनांक 24 सितम्बर, 2009; तथा

(ख) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (28), दिनांक 27 अक्टूबर, 2009

पटल पर रखीं।

(2) श्री अनूप मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 45 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-10-64-2005-पचपन-चिशि-1, दिनांक 26 फरवरी, 2009; तथा

(ख) क्रमांक एफ-10-64-2005-1(पचपन), दिनांक 12 नवम्बर, 2009

पटल पर रखीं।

(3) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 तथा वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में अनियमितता होने की ओर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य ने धार जिले के पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड एवं देश के अन्य रासायनिक इकाइयों के जहरीले कचरे के भण्डारण से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 6. संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परंतुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं और संसद के दोनो सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित हैं.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

**सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए.**

(2) श्री पारस दादा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

## 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री की अनुपस्थितिवश भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009) पुरःस्थापित नहीं किया गया।

## 8. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री रामनिवास रावत सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि वन मंत्री जी की अनुपस्थिति के कारण विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया है तथा मांग की कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधेयक पुरःस्थापित किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास राहाणी) पीठासीन हुए.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि वन मंत्री अपरिहार्य कारण से मेरी अनुमति लेकर गए हैं। चूंकि नियमानुसार विधेयक के भारसाधक सदस्य के नाते मा. मंत्री को ही विधेयक प्रस्तुत करते समय उपस्थित रहना आवश्यक है, अतः इस विधेयक का पुरःस्थापन अभी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा न करके वन मंत्री के द्वारा कल किया जाएगा।

## 9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

## 10. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु श्री राघवजी, वित्त मंत्री का नाम पुकारा गया।

## 11. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा मत व्यक्त किया गया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू हो गई है। अनुपूरक अनुमान पुस्तिका में नगरों के लिए बजट प्रावधान किया गया है। क्या वित्त मंत्री ने चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति ली है?

वित्त मंत्री द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल महोदय से अनुमति आ चुकी है और यह संवैधानिक व्यवस्था है। विधान सभा पर आचार संहिता लागू नहीं होती है तथा आचार संहिता घोषित होने के पूर्व विधान सभा का कार्यक्रम घोषित हो चुका था। इसमें अध्यक्ष महोदय की भी अनुमति है और लोकसभा में भी ऐसा होता रहा है, इसलिए यह बंधनकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्री के कथन से सहमति व्यक्त कर, उन्हें अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

## 12. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ बाईस करोड़, इकसठ लाख, पैतालीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए..".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी (भाषण अपूर्ण)

**(अपराह्न 12.59 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास राहाणी) पीठासीन हुए.**

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भाषण पूर्ण किया।

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री रामलखन सिंह

**सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए.**

(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री पारस दादा

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास राहाणी) पीठासीन हुए.**

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री रत्नेश सॉलोमन
(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(9) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
(10) श्री केदारनाथ शुक्ला

## 13. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा आज की दैनिक कार्य सूची के पद क्र.7 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

## 14. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(11) श्री यादवेन्द्र सिंह
(12) श्री देवेन्द्र वर्मा
(13) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(14) श्री ताराचंद बावरिया
(15) डॉ. कल्पना परुलेकर
(16) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(17) श्री हेमराज कल्पोनी
(18) श्री नारायण प्रजापति
(19) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(20) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

## 15. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा फ्रांस के 17 सदस्यीय पत्रकारों के दल की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

## 16. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(21) डॉ. श्रीमती विनोद पंथी

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 17. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2009 (क्रमांक 23 सन् 2009) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2009 (क्रमांक 23 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

## 18. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

### गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, कार्यवाहक सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर,2009 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार कर निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

| **अशासकीय संकल्प** | **शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2009** | **निर्धारित समय** |
|---|---|---|
| 1. (क्रमांक-2) | श्री रमेश प्रसाद खटीक | 45 मिनट |
| 2. (क्रमांक-31) | श्री रामलल्लू वैश्य | 30 मिनट |
| 3. (क्रमांक-32) | श्री रत्नेश सॉलोमन | 30 मिनट |
| 4. (क्रमांक-34) | श्री आरिफ अकील | 45 मिनट |

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, कार्यवाहक सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 28, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**